



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265382
CG-DL-E-12082025-265382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3583]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947

No. 3583]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 3675(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतत्त्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'परम्बीकुलम बाघ संरक्षण फाउंडेशन' (पैन: AADTP9665M), केरल सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः-

- (क) चेक पोस्ट प्रवेश, आगंतुक आवास, निरीक्षण बंगलों में ठहराव, इकोटूरिज्म पैकेज, कैंटीन से किराया फीस।
- (ख) परम्बीकुलम-अलियार परियोजना लिए लाइसेंस प्राप्त वन भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार से प्राप्त लाइसेंस शुल्क।

(ग) ईसीओ दुकानों या इसकी वेबसाइट के माध्यम से वन्य उपज की बिक्री से प्राप्त आय ।

(घ) सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त निधियाँ ।

(ङ) फाउंडेशन द्वारा जीते गए पुरस्कारों के साथ प्राप्त पुरस्कार राशि ।

(च) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि परम्बीकुलम बाघ संरक्षण फाउंडेशन -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं.131/2025/फा. सं. 300196/6/2022-आईटीए-।]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 3675(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Parambikulam Tiger Conservation Foundation’ (PAN AADTP9665M), a Trust constituted by Government of Kerala, in respect of the following specified income arising to the said Trust, namely;

- (a) Fees received in respect of check post entry, visitor accommodation, halting at inspection Bungalows, ecotourism packages, rent fees from canteens
- (b) License fees received from Tamil Nadu Government towards forest land licensed out for Parambikulam-Aliyar Project
- (c) Proceeds from sale of forest produce through ECO shops or its website
- (d) Funds received from Govt departments and NGO
- (e) Prize money received alongwith awards won by foundation
- (f) Interest received on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Parambikulam Tiger Conservation Foundation—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 to 2025-2026 relevant for the financial years 2021-2022 to 2024-2025 and shall be applicable for assessment year 2026-2027 relevant for the financial year 2025-2026.

[Notification No. 131/2025/F. No. 300196/6/2022-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.